

**कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बाढ़**

पत्रांक ५१४ / बाढ़ / दिनांक १७/०६/२०२१

प्रेषक,

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल बाढ़

सेवा में,

Kaushlya Estate Pvt. Ltd.
Gandhi Nagar, TV Tower, Kankarbagh, Patna 800026

विषय :- 3054 एम0आर0 योजनान्तर्गत बाढ़ स्टेशन के पास कोन्दी बस स्टैण्ड के जमनुचक एवं सादिकपुर अगवानपुर रनाविगहा ललितपुर होते हुए जीपुर बलोर तक तक का पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य नहीं करने के संबंध में।

प्रसंग :- इस कार्यालय का पत्रांक 587 दिनांक 30.05.2021 एवं पत्रांक 611 दिनांक 02.06.2021

महाशय,

उपरोक्त विषय एवं प्रसंग के आलोक में कहना है कि विषयांकित पथ का निर्माण कार्य आपके द्वारा एकरारनामा संख्या 07/एम0बी0डी0/2017-18 के अधीन पूर्ण किया गया है। एकरारनामा के अनुसार पूर्णता की तिथि से पाँच वर्षा तक अनुरक्षण कार्य आपको करना है तथा पथ को Defect Free हालत में रखना है। परन्तु आपके द्वारा पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य नहीं कराया गया है, जो काफी खेदजनक है। अनुरक्षण के अभाव में सरकारी सम्पति का हास हो रहा है जिसके लिए पूर्णतः आप जिम्मेवार है।

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि पत्र निर्गत की तिथि से सात दिनों के अन्दर अनुरक्षण कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा आठवें दिन पथ का अंतिम मापी कर लिया जायेगा, जिसमें कि आपकी या आपके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य होगी। उपस्थित नहीं रहने पर भी आपको कोई दावा मान्य नहीं होगा एवं अंतिम मापी कर लि जायेगी। तदोपरांत एकरारनामा के सुसंगत कंडिका के तहत आपको डिबार करते हुए एकरारनामा को विखंडित करने की कारवाई करते हुए अग्रधन एवं जमानत की राशि जप्त कर लिया जायेगा। साथ ही अनुरक्षण कार्य विभाग द्वारा अन्य माध्यम से करा लिया जायेगा तथा राशि की वसूली आपके जमानत एवं अन्य राशियों से किया जायेगा।

विश्वासभाजन

Neelima's

१७/०६/२१
कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल बाढ़